न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 09.10.2024

मुकदमा नम्बर 142/2023
ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2023/277

1.परमाराम 2. राजकुमार 3. हनुमानाराम पुत्रगण बनाराम जाति मेघवाल निवासी सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर स्वयं एवं जरिये मुख्तारआम किशनलाल पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1.लालाराम 2. रतनाराम पुत्रगण पोकरराम 3. पोकरराम पुत्र खेताराम 4. उमी पत्नि पोकरराम जाति मेघवाल निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. स्व. सुरताराम पुत्र बालूराम जाति नायक निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5/1 ज्यानीदेवी पत्नि सुरताराम 5/2 सुमन 5/3 महेन्द्र 5/4 धनाराम 5/5 सरोज पुत्रगण/पुत्रिया सुरताराम जाति नायक निवासी केऊ 6. स्टैट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से।
3. पैराकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश हैं कि उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसमें सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.3794 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 2 के नाम से 67/22 तादादी 0.3781 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 3 के नाम से खसरा नम्बर 69/22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 1 लालाराम के नाम से खसरा नम्बर 79/53 तादादी 0.3902 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 के सुरताराम के नाम से खसरा नम्बर 97/77 तादादी 0.2870 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर रोही बासी मारनोतान में स्थित है जो पुराने खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 47/21 तादादी 0.8852 हैक्टेयर से कायम हुए है। खसरा नम्बर पुराना 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर के आपसी सहमति से विभाजन में प्रार्थीगण को उतरी पूर्वी तरफ हिस्से पांती में दिये गये थे विभाजन के बाद प्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.3794 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 69/22 तादादी 0.3787 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 के खसरा नम्बर 65/22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर दर्ज हुई थी उसी अनुसार प्रार्थीगण के विभाजन ए[illegible]74 के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थी [illegible] ने राजस्व कर्मचारियो से मिलिभगत करके वादगत खसरा नम्बर 6[illegible] हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 67/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर को [illegible] उतरी तरफ तरमी[illegible]वाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संपरिवर्तन करवा लिया एवं संपरिवर्तन के संलग्न नक्शा भी उसी अनुसार करवा लिया जबकि आपसी विभाजन में उतरी तरफ प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के हिस्से पांती में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनमें अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 79/53 तादादी 0.3902 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 67/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से 77/54 तादादी 0.3420 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर गत जमाबन्दी 2071–74 में दर्ज है जिसका अप्रार्थीगण ने मौके कब्जे एवं विभाजन के विपरीत संपरिवर्तन आदेश एवं नक्शा जारी करवा लिया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में ट्यूबैल बना रखा है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सड़क पर उतरी तरफ चला आ रहा है उसी अनुसार सीमाए कायम कर रखी है एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। दिनांक 20.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 दो तीन व्यक्तियो को लेकर आया एवं कहा कि वादगत खेतो को मैने इनको विक्रय कर दिया है मैने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर हमारे खेतो का नक्शा एक ही स्थान पर सड़क पर कायम करवा लिया है नक्शानुसार हम अब उक्त भूमि को समतल करवाकर नयी सीमाऐ संपरिवर्तन नक्शानुसार एवं राजस्व नक्शानुसार कायम करवायेगे आप यहा से कब्जा खाली कर देवें एवं हमारे नक्शानुसार सीमाऐ कायम करवा लेवे तब हमने कहा कि हमने तो विभाजन भी मौके कब्जे के अनुसार किया हुआ है एवं वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा भी मौके कब्जे के अनुसार कायम है तो अप्रार्थी ने कहा कि वादगत खेतो में से अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के खसरानो को अप्रार्थी संख्या 5 को विक्रय कर दिया है एवं मै उक्त खेतो को सड़क पर कायम करवाकर किसी अन्य को विक्रय कर दूगां एवं नयी सीमाएं करवाकर ही रहेगे। उक्त खसरान पुराने खसरा नम्बर 47/21 तादादी 0.8852 हैक्टेयर पूर्वी तरफ एवं खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ है जिसमें से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त उतरी पश्चिमी तरफ है लेकिन अप्रार्थीगण गलत रिकार्ड एवं नक्शा का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में है। खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर का आपसी सहमति से खाता विभाजन किया था जिसके अनुसार प्रार्थी संख्या 1 परमाराम को उतरी पश्चिमी तरफ, प्रार्थी संख्या 2 राजकुमार को उतरी पूर्वी, प्रार्थी संख्या 3 हनुमानाराम को पश्चिमी तरफ एवं अप्रार्थी संख्या 2 का सुरताराम के पक्ष मे विक्रेता उमी पत्नि पोकरराम एवं रतनाराम पुत्र पोकरराम को दक्षिणी तरफ कब्जा काश्त हिस्से पांती में आया था उसी अनुसार वादगत खेतो की सीमाऐ कायम है। खसरा नम्बर 47/21 तादादी 0.8852 हैक्टेयर खसरा नम्बर 21 तादादी 4.3400 हैक्टेयर का भाग है जो खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर के पश्चिमी तरफ मौके पर कायम है खसरा नम्बर 21 एवं 22 के मध्य पुरानी सीमाऐ कायम है उसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त कायम है लेकिन प्रमिप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलिभगत करते हुए गलत रिकार्ड मौके कब्जे के विपरीत एवं रिकार्ड के विपरीत बनवा लिया एवं रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी के खेतो पर कब्जा करना चाहते है अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकिया दी कि वादगत खेतो को हमने अपनी मर्जी से संपरिवर्तन करवाकर नक्शा बनवा लिया है एवं उसी अनुसार सीमाऐ कायम करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

पखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

ही रहेगे एवं मौके पर सीमाऐ कायम करके ही रहेगे। उपरोक्त खसरानो के खातेदारो ने अपने अपने कब्जा काश्त के अनुसार मौके पर सीमा कायम कर रखी है लेकिन अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो ने उक्त खेतो में तरमीम करते समय मौके कब्जे एवं काश्त के विपरीत तरमीम करवाकर संपरिवर्तन करवाकर नक्शा कायम करवा लिया है जो विभाजन एवं कब्जा काश्त के विपरीत होने से प्रार्थीगण कब्जा काश्त एवं मौके कब्जे के अनुसार करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य पुरानी सींव कायम है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रार्थीगण के खेतों की सींवं को तोड देने की कई बार नाकाम कोशिश की । अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य कायम पुरानी सींव एवं तार पट्टियो को तोडकर जबरदस्ती प्रार्थीगण के खेतों में कब्जा करने की फिराक में है। तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य कायम सीमा को मिटाकर प्रार्थीगण के खेतों में कब्जा करना चाहते है । अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 बहुत ही खुंखार एवं झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 राजनीतिक पहुच वाले व्यक्ति है। दिनांक 15.09.2023 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त खेतों पर गये ओर कहा कि हमारे पास आपके कब्जा काश्त की भूमि का संपरिवर्तन आदेश एवं उसके संलग्न नक्शा है एवं उसी अनुसार पुरानी जमाबन्दी एवं नक्शा है। हम उपरोक्तानुसार खेतो की सीमाऐ कायम करेगे। एवं संपरिवर्तन आदेश एवं संलग्न नक्शानुसार आगे विक्रय करेगे तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि विभाजन एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं नक्शानुसार वादगत खेतो का रिकार्ड दुरूस्त करवाकर रिकार्ड सही करवा लेते है तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकिया दी कि हमने तो राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सड़क पर कब्जा करने के लिए नक्शा तैयार करवाया है अब संपरिवर्तन के अनुसार विक्रय कर कब्जा करके आपको यहा से बेदखल कर देगे एवं कब्जा पुख्ता कर लेगे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थीगण को बार बार ऐलानिया धमकिया दे रहे है कि हमारे पास राजनीतिक दबाब है हम पटवारी एवं तहसीलदार से तुम्हारे खेतो की सींव हटवाकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके ही रहेगें । तुम्से जो होता है वो कर लेना । प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के द्वारा दी गई धमकी की दिनांक से प्रार्थना पत्र का हेतु हासिल है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतो का विभाजन में प्रार्थीगण के उतरी तरफ हिस्सें पांती में आये हुए है प्रार्थीगण ने अपनी भूमि पर ट्यूबैल बना रखा है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त विभाजन एवं पुरानी सीमाओं के अनुसार कायम है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सींवं को नाजायज रूप से तोडकर निशानदेही को मिटाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का कब्जा कराने की फिराक में है । अप्रार्थीगण जबरदस्ती सींव को तोडकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जिनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिनांक 15.09.2023 को मोजिज व्यक्तियों से आम सहमति से विवाद को सुलझाने हेतु निवेदन किया और कहा कि हम उक्त भूमि का विवाद आपसी सहमति एवं मोजिज व्यक्तियो से करवा लेते है एवं गलत रिकार्ड को सही करवा लेते है तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की [illegible] से इनकार कर दिया अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.09.2023 इनकारी से प्रार्थी[illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र का हेतु हासिल है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के [illegible] उपभोग से इनकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रहे है प्रार्थीगण को अपने खेतों से बेदखल करने पर एवं प्रार्थीगण के खेतों की पुरानी सींव को तोडकर कब्जा कायम करने पर आमन्दा हो रहे है तथा प्रार्थीगण का कब्जा छुड़ाने की धमकिया दे रहे है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपने हितो एव भूमि की रक्षार्थ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेतों में जबरदस्ती कब्जा करने एवं नयी सींमा कायम करने की फिराक व कोशिश में है। अगर अप्रार्थीगण अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय कारित क्षति होगी व प्रार्थीगण अपने हक से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्ट्या मामला खातेदारी टाईटल व कब्जा है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है व प्रार्थीगण को उसके हिस्से में प्रार्थीगण का खेत हड्प करने की धमकिया दे रहे है, अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादगत रकबे से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकशान होगा, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्धात भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण को वादगत भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 65/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67/22 तादादी 0.3781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69/22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79/53 तादादी 0.3902 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93/77 तादादी 0.2870 हैक्टेयर रोही मौजा बासी मारनोतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में प्रवेश न करे नयी सीमा कायम नही करे कब्जा पुख्ता नही करें जिससे कि प्रार्थीगण के हक–अधिकारों पर कुठाराघात होता हो तथा ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो तथा दावे के निस्तारण तक वादगत रकबा के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये है। अप्रार्थीगण संख्या 1व 5 के वारिसान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं करनें के निवेदन पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का जवाब पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं 151 सीपीसी का पेश किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं 151 सीपीसी का पेश नहीं करने एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं 151 सीपीसी पर बहस एवं मूल प्रार्थना पत्र पर बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं 151 सीपीसी पर बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा बहक अनेवानी प्रार्थना पत्र वास्ते

श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अस्थायी निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के वारिसानो ने हाजिर होकर जबाब प्रस्तुत किया है। वर्तमान मे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 व जबाब अप्रार्थी संख्या 6 में लम्बित है। प्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.3794 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 67/22 तादादी 0.3781 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 के नाम खसरा नम्बर 69/22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.3794 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 67/22 तादादी 0.3781 हैक्टेयर औधोगिक प्रयोजनार्थ में रूपान्तरण है एवं खसरा नम्बर 69¢22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर में ट्यूबैल बना हुआ है। तथा खसरा नम्बर 65/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93/77 तादादी 0.2870 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79/53 तादादी 0.3902 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जो प्रार्थीगण के खसरानो के चिपते हुए खसरान है। जो मौके पर संयुक्त रूप से कायम है। जिनके मध्य किसी भी प्रकार की सीमाऐ नही है एवं मौके पर उपरोक्त सभी खसरानो की भूमि एकल है । वादगत खसरान पुराने खसरा नम्बर 21 तादादी 4.7400 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर से कायम हुए है जो मौके पर खसरा नम्बर तादादी 4.74 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ एवं खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर पूर्वी तरफ कायम थे जिसमें से खसरा नम्बर 47/21 तादादी 0.8827 हैक्टेयर पूर्वी तरफ कायम हुआ है। मौके पर खसरा नम्बर 21 व 22 की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीम मोके कब्जे के विपरीत कायम की हुई है जिसमें वर्तमान नक्शा एवं मौका पर काफी भिन्नता है राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 21 की सड़क पर सीमा 400 मीटर कायम है लेकिन मौके पर उक्त खेत की सीमा 260 मीटर होने के कारण खसरा नम्बर 21 की भूमि मौके कब्जे के विपरीत थी। जो आज भी उसी अनुसार कायम है। एवं खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर की भूमि मौके पर सड़क पर 120 मीटर शूरू से ही कायम थी जो आज भी प्रार्थीगण का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसको प्रार्थीगण ने समतल कर रखी है। वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड एवं मौके में भिन्नता होने के कारण राजस्व राजस्व नक्शा मौके कब्जे के विपरीत कायम हुए है मौके पर जहा कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रार्थीगण का चला आ रहा है वहा पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का नक्शा कायम कर दिया है जो मौके कब्जे एवं उपयोग उपभोग के विपरीत है। पुराने खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर के विभाजन के बाद जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रार्थी संख्या 1 परमाराम के नाम से खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.3794 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 69/22 तादादी 0.3787 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 के नाम से खसरा नम्बर 65/22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 67/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर कायम हुए उसी अनुसार प्रार्थी संख्या 1 ता 2 एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने औधोगिक प्रयोजनार्थ लघु उधोग में संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर संपरिवर्तन करवायी गयी जिसमें संपरिवर्तन आदेश भी जमाबन्दी सम्वत 2[illegible]4 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के नाम से संपरिवर्तन आदेश [illegible] जिसे उक्त संपरिवर्तन आदेशो

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

के सलग्न नक्शा भी जारी किया गया जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड से बिलकुल बिपरीत है। वादगत खेतो का औधोगिक संपरिवर्तन होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 5 को कृषि भूमि बताकर विक्रय कर दी एवं जबकि उक्त भूमि पूर्व में ही औधोगिक प्रयोजनार्थ में संपरिवर्तन की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का मौके पर कब्जा नही होने एवं खातेदारी में दर्ज गलत रिकार्ड का फायदा उठाकर गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में रूप से विक्रय कर दिया जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का कब्जा नही है एवं न ही उपयोग उपभोग है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा जो मौके कब्जे कि विपरीत है जिसको दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया हे जिसमें मौके की स्थिति एवं वर्तमान उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर रिर्पोट मंगवायी जानी आवश्यक है जिससे वास्तविक स्थिति न्यायालय के सामने मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत की जा सके एवं न्यायालय द्वारा उचित न्याय निर्णय किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौके की वस्तुस्थिति मंगवाये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए निवेदन किया गया किया की अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से दिनांक 11.07.2024 से हाजिर आ चुके है। एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में औद्योगिक संपरिवर्तन बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी को अपने दावे/प्रार्थना पत्र को स्वंय साबित करना है प्रार्थी मौका कमिश्नर की आड में किसी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता है। एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं 151 सीपीसी को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता दिनांक 11.07.2024 से हाजिर आ चुके है। प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र स्वंय साबित करना है। प्रार्थी मौका कमिश्नर की आड में किसी प्रकार का साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता है लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं 151 सीपीसी को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा वाद फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे जानें का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 05 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 10.07.2023 को हो चुकी थी ऐसी स्थिति में धमकी का तथ्य पूर्णतया मनघढत अंकित किया है [illegible] की मृत्यु दावा दायरी सें पूर्व दिनांक 10.07.2023 को हो चुकी है। प्रार्थीगण नें [illegible] देने के लिए गलत तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

का बढ़ा चढ़ा कर अंकित किये है। प्रार्थीगण को प्रतिवादी 01 व 05 की खातेदारी कृषिभूमि में किसी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार हासिल नही है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 व मृतक अप्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी कृषिभूमि में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त तथा अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त लागू नही होता है। जब कि उक्त प्रार्थनापत्र में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 01 व मृतक अप्रार्थी संख्या 05 के उतराधिकारियों को अपूर्णनीय क्षति हो रही है तथा उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खेत खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर रोही ग्राम बासी मारनोतान रतनाराम पुत्र पोकरराम, परमाराम पुत्र बनाराम, राजकुमार पुत्र बनाराम, उमी पत्नी पोकरराम, हनुमानराम पुत्र बनाराम की संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि थी जिसका आपसी सहमति सें उक्त खातेदारन के मध्य विधिवत विभाजन हुआ जिसके खसरा नम्बर संख्या 65/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर रतनाराम पुत्र पोकरराम, खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.3794 परमाराम पुत्र बनाराम, खसरा नम्बर 67/22 तादादी 0.3781 हैक्टेयर राजकुमार पुत्र बनाराम, खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर उमी पत्नी पोकरराम, खसरा नम्बर 69/22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर हनुमानाराम पुत्र बनाराम कायम हुए । पुराने खसरा नम्बर 22 के तत्कालिन खातेदारन प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 02 व 04 नें विधिवत रूप से विभाजन कर लिया था तथा ट्रेस नक्शा में भी विभाजन राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया जो वर्तमान नक्शा शीट में भी विभाजन अनुसार ही अंकन है। खेत खसरा नम्बर 65/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर रोही बासी मारनोतान की कृषिभूमि को अप्रार्थी संख्या 05 सुरताराम नें जरियें पंजीकृत विक्रयपत्र अप्रार्थी संख्या 02 व 04 से खरीद कर ली जिसका नामान्तरण दर्ज किया जाकर जमाबन्दी में सुरताराम के नाम से अमल दरामद हो चुका है। पुराना खसरा नम्बर 21 रोही बासी मारनोतान की कृषिभूमि में प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार नही था। खसरा नम्बर 21 के नया खसरा नम्बर 44/21, 57/46, 58/46, 74/45, 75/45, 76/54, 78/53, 79/53, 93/77, 92/77 कायम हुए । उक्त खसरा में कभी भी प्रार्थीगण की खातेदारी नही रही है ना ही आज उक्त खसरान में प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण का पुराना खसरा नम्बर 22 जो विभाजन के बाद खसरा नम्बर 65/22, 66/22, 67/22, 68/22, 69/22 कायम हुए जो विभाजन अनुसार ही मौका पर व ट्रेस नक्शा में अंकन है। दावा दायर करने से पूर्व ही अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04 सें प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा कृषिभूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के जरियें खरीद की थी। जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के नाम से दर्ज नही है। प्रार्थीगण नें गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 को गलत पक्षकार संयोजित किया है। अप्रार्थी संख्या 05 सुरताराम की मृत्यु दावा दायर करने से पूर्व ही हो चुकी हैं जिनसी जानकारी शुरू से ही प्रार्थीगण को थी । प्रार्थीगण नें जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 05 के वारिसान को पक्षकार संयोजित नही किया और एक मृतक के विरूद्ध प्रार्थनापत्र पेश किया है। कानून के अनुसार मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थनापत्र नही लाया जा सकता। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया प्रार्थनापत्र अबेट, निरस्त, खारिज योग्य हैं। एवं प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न औद्योगिक संपरिवर्तन किये जाने बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व दिनांक 10.07.2023 को हो चुकी है जिस पर उनके वारिसान को उक्त प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार अप्रार्थी संख्या 5/1 से 5/5 बनाया जा चुका है। खेत खसरा नम्बर 22 तादादी 2.0200 हैक्टेयर रोही ग्राम बासी मारनोतान रतनाराम पुत्र पोकरराम, परमाराम पुत्र बनाराम, राजकुमार पुत्र बनाराम, उमी पत्नी पोकरराम, हनुमानराम पुत्र बनाराम की संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि थी जिसका आपसी सहमति सें उक्त खातेदारन के मध्य विधिवत विभाजन हुआ जिसके खसरा नम्बर संख्या 65/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर रतनाराम पुत्र पोकरराम, खसरा नम्बर 66/22 तादादी 0.3794 परमाराम पुत्र बनाराम, खसरा नम्बर 67/22 तादादी 0.3781 हैक्टेयर राजकुमार पुत्र बनाराम, खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर उमी पत्नी पोकरराम, खसरा नम्बर 69/22 तादादी 0.2625 हैक्टेयर हनुमानाराम पुत्र बनाराम कायम हुए । पुराने खसरा नम्बर 22 के तत्कालिन खातेदारन प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 02 व 04 नें विधिवत रूप से विभाजन कर लिया था तथा ट्रेस नक्शा में भी विभाजन राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया जो वर्तमान नक्शा शीट में भी विभाजन अनुसार ही अंकन है। खेत खसरा नम्बर 65/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68/22 तादादी 0.5000 हैक्टेयर रोही बासी मारनोतान की कृषिभूमि को अप्रार्थी संख्या 05 सुरताराम नें जरियें पंजीकृत विक्रयपत्र अप्रार्थी संख्या 02 व 04 से खरीद कर ली जिसका नामान्तरण दर्ज किया जाकर जमाबन्दी में सुरताराम के नाम से अमल दरामद हो चुका है। प्रार्थी खसरा नम्बर 21 के नया खसरा नम्बर 44/21, 57/46, 58/46, 74/45, 75/45, 76/54, 78/53, 79/53, 93/77, 92/77 के रिकार्डेड खातेदार नहीं है। दावा दायर करने से पूर्व ही अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04 सें अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा कृषिभूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के जरियें खरीद की थी। जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के नाम से दर्ज नही है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन,व अर्पूणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है, लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.22 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested